THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) Yes, Sir. As reported by Municipal Corporation of Delhi, some unauthorised constructions have been noticed on Narela Alipur road on agricultural land.

(b) Demolition actions have been taken from time to time with police help against these unauthorised constructions.

(c) MCD reports that demolition action can be taken against the remaining unauthorised constructions immediately after completion of legal formalities and availability of adequate police force.

दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

4277. **श्री मोहम्मद अफ़जल उर्फ सीम अफजल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण और इसके स्लम विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं;

(ख) इन शिकायतों पर कार्यवाही करते समय कितने कर्मचारियों को निलंबित किया गया है ; और

(ग) कितने कर्मचारियों के विरुद्ध अभी तक कार्यवाही चल रही है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) स्लम विंग सहित दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के विरुद्ध सतर्कता शाखा में 647 शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) निलंबित किए गए कर्मचारियों की संख्या 135 है ।

(ग) नियमों के अंतर्गत 442 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में इंजीनियरों के पदों का विभाजन

4278. **श्री आनन्द प्रकाश गौतम** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (मुख्य कार्यालय) में सहायक इंजीनियर (सिविल) के पदों को संवेदनशील श्रेणियों में विभाजित किया गया है ; यदि हां, तो उक्त दोनों श्रेणियों के अंतर्गत कितने पद हैं ;

(ख) क्या किसी अधिकारी को किसी संवेदनशील पद पर तैनात करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किया गया है, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है यदि नहीं तो क्या ऐसे पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के किसी अधिकारी को तैनात किए जाने पर कोई कोई प्रतिबंध है ;

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण (मुख्य कार्यालय) में इन समय संवेदनशील पदों पर कितने सहायक इंजीनियर (सिविल) कार्यरत हैं और उनमें से कितने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के है ; और

(घ) क्या संवेदनशील पदों पर अपनी तैनाती के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के इच्छुक सहायक इंजीनियर (सिविल) उपलब्ध हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) सहायक इंजीनियरों (सिविल) के पदों को संवेदनशील और असंवेदनशील में विभाजित करने के कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।